रूपये रिलीज किए गए हैं। जिलावार और योजनावार आबंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता हैं।

(घ) जी, नहीं।

गुजरात के कच्छ और बनासंकांठा जिलों को गरीबी निवारण हेतु सहायता

105. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात के ऋणग्रस्त और सूखा पीडित जिलो कच्छ और बनासंकाठा की जनजातियो की दशा के बारे में जानकारी हैं.

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान गरीबी निवारण कार्यक्रम के अतंर्गत सरकार द्वारा उक्त जिलों को कितनी वित्तीय सहायता जारी की गई हैं

(घ) इन जिलो में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए किन-किन योजनाओं को लागू किया गया हैं

(ङ) क्या इन जिलों के ग्रामीण और सरहदी जिले होने के कारण महिलाओं के उत्थान और स्वरोजगार संबंधी कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके हैं, और

(च) क्या सरकार द्वारा इन जिलों में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के प्रसार और प्रचार के लिए कोई ठोस प्रयास किए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापु येरन्नायडु) : (क) से (ड.) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा गुजरात की जनजातियों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले व्यक्तियों की ऋणग्रस्त का मानीटरन नहीं किया जा रहा हैं। तथापि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहरण रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना दस लाख कुओं की योजना, सूखा बहूल क्षेत्र कार्यक्रम त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना जैसी विभिन्न ग्रामीण रोजगार तथा अन्य विकासात्मक योजनाओं को केन्द्र द्वारा देशभर में महिला तथा जनजातीय आबादी सहित ग्रामीण निर्धनों के लाभ के लिए चलाया जा रहा हैं।

गुजरात राज्य के कच्छ और बनासकांठा जिलों की विभिन्न योजनाओं के लिए जारी की गयी वित्तीय सहायता की राशि निम्नानुसार हैं:-

कच्छ जिला

योजना	1994-95	1995-96	1996-97
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	48.43	52.64	53.54
जवाहर रोजगार योजना	475.36	254.67	70.87
सुनिश्चित रोजगार योजना	200.00	500.00	500.00*
दस लाख कुओं की योजना		1994-95 तथा 1995-96 के दौरान जारी राशि का जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शामिल कर दिया गया।	
इंदिरा आवास योजना	-वहीं-	-वही-	81.14
राष्ट्रीय सामजिक सहायता कार्यक्रम	-	24.83	45.55
महिलां एवं बाल विकास योजना	-	-	-
बनासकांठा जिला			
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	86.53	103.15	111.65

योजना	1994-95	1995-96	1996-97
जवाहर रोजगार योजना	737.46	182.99	209.29
सुनिश्चित रोजगार योजना	180.00	280.00	320.00
दस लाख कुओं की योजना	1994-95 तथा 1995-96 के दौरान जारी राशि को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शामिल कर दिया गया		72.64
इंदिरा आवास योजना	1994-95 तथा 1995-96 के दौरान जारी राशि को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शामिल कर दिया गया।		162.10
राष्ट्रीय सामजिक सहायता कार्यक्रम	-	41.11	37.75
महिला एवं बाल विकास योजना			0.50

*अनन्तिम

इन जिलों सहित देशभर के ग्रामीणा निर्धनों के उत्थान के लिए विभिन्न स्तरो पर इन कार्यक्रमों को नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती हैं।

(च) मंत्रालय द्वारा देश में प्रसे, विज्ञापन, दूरदर्शन, आकाशवाणी बाहरी प्रचार जैसे समस्त उपलब्ध माध्यमों के जरिए विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रस्तारित करने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय द्वारा चलो गांव की ओर और गांव विकास की ओर जैसे दो पाक्षिक आकाशवाणी कार्यक्रमों को भी प्रायोजित किया गया हें। इन आकाशवाणी कार्यक्रमों को गुजराती में भी प्रसारण किया जा रहा हैं। बनासंकाठां को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को भी अन्त वैयक्तिक सम्पर्क और परम्परागत माध्यम से विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए 5.00 लाख रूपए की अनुदान सहायता दी गई थी।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं हेतु रोजगार के अवसर

106. **श्री गोविन्दराम मिरी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं असम के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पिछले पाचं वर्षो के दौरान किए गए प्रयत्नों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु) : ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने और पैदा करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। स्वरोजगार योजनाओं में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसकी उप योजनाएं अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास, ट्राईसेम और ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति शामिल हैं। मजदूरी रोजगार योजनाओं में जवाहर योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना शामिल हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के पहचान किए गए ग्रामीण गरीबों को सरकार द्वारा सब्सिडी और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मियादी ऋण के रूप में सहायता दी जाती हैं। इस वित्तीय सहायता से प्राप्त परिसंपत्तियों से स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। उनमें वृद्वि होती हैं। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिंद्वातों में यह प्रावधान हैं कि 40% लाभार्थी महिला होनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की ग्रामीण गरीब महिलाएं स्वयं डवाकरा समूह बनाती हैं। ऐसे प्रत्येक समूह को आय सर्जक ऐसी गतिविधियों शुरू करने के लिए 25,000 रू. की परिक्रामी निधि प्राप्त होती हैं जो कि उनकी रूचि और कौशल के अनुरूप हों।

ट्राईसेम का उदेश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी और उदयमी कौशल